न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार शर्मा, RAS.

पत्रावली संख्या : 71/17 (वि.प्रा.पत्र)

1. श्री करणसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा हाल भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...........प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1

बनाम

1. श्री मोहनसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. श्री जितेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
3. रिंकू कुँवर पुत्री सुरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...............विपक्षीक्षण/वादीगण

4. श्री निर्भयसिंह पिता करणसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा हाल भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
5. श्री शिवसिंह पिता करणसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा हाल श्रीराम कॉलोनी पुराना आर.टी.ओ.ऑफीस के पास, उदयपुर ।
6. श्री जगपालसिंह पिता करणसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा हाल खादी भण्डर के पास, भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
7. श्री सुरेन्द्रसिंह पिता करणसिंह राजपूत निवासी सगतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
8. श्रीमती कंचन कुँवर पुत्री करणसिंह राजपूत पत्नी श्री चेनसिंह राजपूत निवासो सगतपुरा हाल झाड़ेली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ ।
9. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
10. राज्य सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल वाणियातलाई तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

.............विपक्षीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता

विरूद्ध प्रकरण संख्या 87/2014 मोहनसिंह बनाम करणसिंह व अन्य

निर्णय दिनांक 24.04.17

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक : 12.05.18</u>

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता में पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 3 ने माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.14 को एक वाद घोषणा एवम स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया । उक्त मामले में वादी की ओर से प्रार्थी को वाद के सम्मन की सम्यक रूप से तामील नहीं कराई गई । वाद में प्रार्थी एवम विपक्षी संख्या 4 से 11 के नाम दिनांक 18.07.16 की सुनवाई के सम्मन जारी करने के आदेश दिनांक 18.04.16 को पारित किये व दिनांक 18.07.16 को पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई एवम दिनांक 20.12.16 को प्रार्थी एवम विपक्षी संख्या 4, 5, 6 के नाम के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजने की रसीद प्रस्तुत होने पर एक पक्षीय कार्यवाही स्थगित की गई । प्रार्थी को वाद के सम्मन की सम्यक रूप से तामील नहीं करवायी गई ना ही प्रार्थी को सम्मन मिला । कहा कि अनुपस्थिति का करण पर्याप्त व अच्छा है । मामला जायदाद का है जिसको गुणदोषों के आधार पर विनिश्चित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । निर्णय एवम डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 09.10.17 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रति प्राप्त करने से दिनांक 10.10.17 को हुई एवम प्रार्थना पत्र तैयार कर अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है । जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है । अतः निवेदन है कि उक्त मामले में एक पक्षीय निर्णय एवम डिक्री को अपास्त फरमाया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश किया गया है ।

2. उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 18.10.17 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी की स्टेज पर नियत है ।

3. प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ''वाणिया तलाई'' पर पेश हुआ । पटवारी हल्का द्वारा श्रीमान न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में प्रस्तुत अपील का अपील मेमो पेश किया गया । अपील मेमो के अनुसार प्रकरण संख्या 165/17 निर्भयसिंह बनाम मोहनसिंह का पेश किया जिसमें नियत पेशी दिनांक 21.11.17 नियत होने का अंकन है । उक्त

अपील मेमो से स्पष्ट रूप से जाहीर आया है कि मूल वाद की अपील श्रीमान न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में पेश हो चुकी है तथा प्रकरण विचाराधीन है । कैम्प कोर्ट पर उपस्थित प्रार्थी तथा विपक्षीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि अपील श्रीमान न्यायालय आर.ए.ए. में विचाराधीन है । जब अपील श्रीमान आर.ए.ए. उदयपुर के यहा पेश कर दी है तथा पेशी नियत हो चुकी है ऐसी स्थिति में Lower Court में यह प्रकरण पोषणीय नहीं है।

4. अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

5. प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । मूल वाद के संलग्न रहे ।

6. निर्णय सरे ईजलास कैम्प कोर्ट ''वाणिया तलाई'' पर सुनाया गया ।

(अनिल कुमार शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
जिला उदयपुर